

(सहांगी दुग्गल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला कटनी (म.प्र.)

Sum - 59/25
गुलाम

मिहिर

शिव कुशवाह

भारा - 544/2025

Filing No - 470/2025

CNR No - MP2101-000695-2015

Reg Date - 21-01-2025

// निर्णय //

(आज दिनांक 21/11/25 को घोषित)

के.प्र.	Pa
16	A

- (1) अभियुक्त/गण शिव प्रसाद के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध का अभियोग है।
- (2) अभियुक्त/गण के द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/गण को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- (3) प्रकरण में अपराधी की आयु एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपराधी/गण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।
- (4) अभियुक्त/गण शिव प्रसाद की स्वेच्छा एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- (5) अतः दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, अपराधी की आयु आदि बिन्दुओं को देखते हुये अपराधी/गण को प्रमाणित अपराध के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध में दोषसिद्धि पर न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास एवं 1000/- रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के राशि की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अपराधी/गण को 5 दिवस/माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- (4) प्रकरण में जप्त संपूर्ण देशी/विदेशी शराब अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।

कटनी, जिला कटनी (म0प्र0)

दिनांक - 21/11/25

(सहांगी दुग्गल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला कटनी म.प्र.